प्रपत्र–6

2024/213

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भावाजी का खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 57 के मुरा में नाम कालूलाल पुत्र मुरा दर्ज है जबकि मेरे पिता का नाम मुरालाल है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः– 12/03/22

(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम भा. खेड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 57 में प्रार्थी का नाम कालूलाल/मुरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न तरेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम मुरालाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

12/3/2022

भू0अ0नि0 शाहपुरा

पटवारी भा. खेड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी भा. खेड़ा व भू0अ0नि0 शाहपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम भा. खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 57 में प्रार्थी का नाम मुरालाल के बजाय कालूलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

137/22
1-6-22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम भा. खेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 57 में दर्ज प्रार्थी का नाम कालूलाल मुरा के स्थान पर मुरालाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा(भील0)

प्रभारी अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)